भाग–III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अप्रैल, 2022

संख्या का०आ० 14/के०अ० 16/1927/धा० 30/2022.– चूंकि, हरियाणा सरकार, वन विभाग अधिसूचना संख्या का०आ० 13/के०अ० 16/1927/धा० 29/2022 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित कतिपय वन तथा बंजर भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषित की गई है;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा,–

(क) उक्त संरक्षित भूमि में अथवा उस पर खड़े अथवा उगाए गए सभी पेड़ों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से आरक्षित घोषित करते हैं ;

(ख) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस वर्ष की अवधि के लिए उक्त संरक्षित वन को बन्द करते हैं तथा आगे घोषित करते हैं कि उक्त भूमि पर गैर सरकारी व्यक्तियों के सभी अधिकार, यदि कोई हों, उक्त अवधि के दौरान निलम्बित हो जाएंगे ; और

(ग) उसी तिथि से तथा पूर्वोक्त अवधि के लिए उक्त संरक्षित वन में किसी भी भूमि का पत्थर खोदने, चूने या लकड़ी–कोयले को जलाने, अथवा किसी ऐसे वन में किसी वन उपज को एकत्र करने या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने अथवा हटाने तथा खेती, भवन, पशु चराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ने या साफ करने को प्रतिषिद्ध करते हैं।

ए० के० सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 11th April, 2022

No. S.O. 14/C.A. 16/1927/S. 30/2022.— Whereas, by the Haryana Government, Forest Department, Notification No. S.O. 13/C.A. 16/1927/S. 29/2022, dated the 11th April, 2022, certain forests and waste lands mentioned in the Schedule appended thereto have been declared to be protected forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 30 of the said Act, the Governor of Haryana hereby;

(a) declares all trees standing upon or planted in the said protected forests, to be reserved with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

(b) closes the said protected forests for a period of thirty years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and further declares that all rights of private persons, if any, over the said land shall be suspended during the said period; and

(c) prohibits from the same date and for the aforesaid period, the quarrying of stone or the burning of lime or charcoal, or the collection or subjection to any manufacturing process, or removal of any forest produce in any such forest, and the breaking up or clearing for cultivation, for building, for herding cattle or for any other purpose, of any land in the said protected forests.

A. K. SINGH,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Forest Department.

9557—L.R.—H.G.P., Pkl.